

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/ 3261 भोपाल, दिनांक 20/06/2024
प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO/I/74374 दि. 18.06.2024.

—0—

उपरोक्त ऑनलाईन प्रकरण का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी तैयार कर पोर्टल में अपलोड कर उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/ 3262 भोपाल, दिनांक 20/06/2024
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।

की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 011/2023-वीएचओ/I/74374

दिनांक: 18 /06/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर (ऑनलाईन प्रस्ताव 31.90 है.) संरक्षित वनभूमिकार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/ROAD/121709/2021)।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1215/2023/10-11/2647 दिनांक 20/05/24.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/331 दिनांक 04/06/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 21/05/2024 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 04/06/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. Since the area proposed for diversion is revised to 44.05 ha. after addition of the area of existing carriage way, the revised KML for the area proposed for diversion i.e. 44.05 ha. shall be submitted/uploaded in online portal accordingly.
2. In view of guideline dated 27.12.2023 compensatory afforestation on **equivalent non-forest land** shall be submitted to the Regional Office, Bhopal along with the compensatory afforestation scheme, suitability certificate, certificate of non encumbrances, digital map and the KML of the area.
3. Status of Clearance from SCNBWL shall be intimated.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

Signed by Yogesh Gairola

Date: 18-06-2024 10:07:00

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।